संख्या 352/XIV–1/ 2009

प्रेषक,

ओम प्रकाश
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 04 जून, 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न अवचनबद्ध मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 205/XXVII (1) /2009 दिनांक 25.03.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 के पारित लेखानुदान (1 अप्रेल 2009 से 31 जुलाई 2009 तक) के क्रम में सहकारी न्यायाधिकरण के आयोजनेत्तर पक्ष की निम्नलिखित अवचनबद्ध मदों में कुल धनराशि रू0 119 हजार (रूपये एक लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार सहर्ष प्रदान करते हैं–

अनुदान संख्या–18
2425–सहकारिता आयोजनेत्तर
001–निदेशन तथा प्रशासन (धनराशि हजार रू0 में)
05–सहकारी न्यायाधिकरण

04–यात्रा व्यय	10
05– स्थानान्तरण व्यय	07
08–कार्यालय व्यय	10
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं लिये भुगतान	33
18– प्रकाशन	03
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	04
27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	33
29– अनुरक्षण	02
45– अवकाश यात्रा व्यय	17
योगः–	119

(एक लाख उन्नीस हजार रूपये मात्र)

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक

प्रपत्र बी0एम0–5 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी0एम0 13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग /शासन एवं महालेखाकार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता के सम्बन्ध में समय समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

6. इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 25.03.2009 में उल्लिखित बिन्दुओं/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 05–सहकारी न्यायाधिकरण के सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या– 23 (N.P.)/XXVII-4/ दिनाक 29.05.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

352

संख्या 352/XIV–1/ 2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।